[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख ,2022

अधिसूचना

सा. का. नि .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, प्रवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, प्रवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, प्रवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 में, -

(क) अनुसूची में, स्तम्भ (12) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, नामतः-

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- (1) सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; (2) उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, (3) प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (प्रशासन), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, (4) कमान अधिकारी, सेना अस्पताल, कसौली या उनके प्रतिनिधि - सदस्य।

[फाइल संख्या. ए-12018/04/2022-ईपीआई]

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (श्रेणी II और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1965 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (1), 14 अगस्त, 1965 में संख्यांक सा. का. नि. 1167, दिनांक 03 जुलाई, 1965 द्वारा प्रकाशित किया गया था और दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को संख्यांक सा. का. नि. 445 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।